

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2030/2011/पाली

✓ 2. अपील संख्या – 2031/2011/पाली

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
पाली।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स पदमावती कम्यूनीकेशन,
पाली।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल – सदस्य

श्री अमर सिंह –सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07/04/2014

निर्णय

1. यें अपीलें विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 08/आरवेट/पाली/2009-10 एवं 06/आरवेट/पाली/2010-11 में पारित किये गये पृथक-पृथक निर्णय दिनांक 08.02.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने एवं एक ही व्यवसायी से संबंधित होने से इनका निष्पादन एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जावें।

3. प्रकरणों के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी सी.डी. एम.ए. तकनीक के मोबाईल हैण्डसेट का व्यापार करता है। प्रत्यर्थी व्यवसाई द्वारा आलौच्य अवधियों वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में शुद्ध खरीद रूपये 3,48,81,746/- एवं रूपये 3,44,42,681/- में से माल का विक्रय रूपये 3,59,81,743/- एवं 2,56,75,849/- का घोषित किया गया तथा खरीद मूल्य से कम दर पर माल का विक्रय किया गया। वाणिज्यिक कर अधिकारी, पाली (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा ऐसा किये जाने का कारण पुछे जाने पर प्रत्यर्थी व्यवसाई ने बताया कि कम्पनियों के निर्देशानुसार ही उसके द्वारा ग्राहकों को कम दर पर माल बेचा गया है। तथा ऐसा करने के बदले कम्पनी द्वारा उसे सब्सिडी रूपये 1,64,18,524/- एवं रूपये 1,13,84,967/- के रूप में भुगतान किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवसाई द्वारा शुद्ध खरीद रूपये 3,48,81,746/- एवं 3,44,42,681/- पर आगत कर चुकाया जाकर उसका दावा पेश किया गया है तथा क्रय से कम मूल्य पर विक्रय किये जाने के कारण आउटपुट टैक्स आगत कर से कम वसूल किया गया है, उसके द्वारा विभाग से उक्तानुसार अधिक भुगतान किये गये आगत कर का रिफण्ड चाहा गया है जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत करते हुए उक्तानुसार प्राप्त सब्सिडी को


लगातार.....2

विक्रय का हिस्सा मानते हुए अपने पृथक-पृथक आदेश दिनांक 20.03.2009 एवं दिनांक 31.03.2010 के द्वारा प्रत्यर्थी व्यवसायी पर करारोपण किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी के इन आदेशों के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने पृथक-पृथक आदेश दिनांक 08.02.2011 के द्वारा आरोपित मांग को अपास्त कर दिया है। अपीलीय अधिकारी के इन आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा ये द्वितीय अपीलें पेश की गई हैं। जिनका विवरण नीचे लिखी सारणी अनुसार है :-

अपील स.	क.नि. वर्ष	कर राशि	विवादित राशि
2030 / 2011	06-07	6,76,012 / -	6,76,012 / -
2031 / 2011	07-08	4,55,399 / -	4,55,399 / -

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
5. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किये हैं वह अनुचित व अवैधानिक हैं।
6. प्रत्यर्थी व्यवहारियों की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री अलकेश शर्मा ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवसायी मैसर्स Drive India Enterprise Solutions Ltd., Jaipur (DIC) का वितरक है तथा सी.डी.एम.ए. तकनीक के मोबाइल हेण्डसेट का व्यापार करता है। आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थी ने समस्त खरीद डी.आई.सी. से की है तथा खरीद पर नियमानुसार वेट अदा किया गया है। समय समय पर व्यापार में प्रचलित प्रमोशन स्कीम के अनुसार मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज लि. (TTSL) द्वारा स्कीम के तहत घोषित खुदरा कीमतों पर प्रत्यर्थी द्वारा हेण्डसेट का विक्रय किया गया। बाजार में प्रचलित प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी द्वारा माल का विक्रय क्रय मूल्य पर किया गया है। (TTSL) द्वारा व्यवसायी को ग्राहकों को दूरसंचार सेवाओं हेतु आकर्षित करने हेतु सब्सिडी दी जाती है जिसके कारण प्रत्यर्थी हेण्डसेट का क्रय मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय करता है। वर्तमान प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा समस्त खरीद डी.आई.सी. से की गई है तथा प्रत्यर्थी को प्राप्त समस्त सब्सिडी डी.आई.सी. द्वारा न दी जाकर (TTSL) द्वारा दी गई है जो कि "de hors the contract of sale" है।

अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि ऐसे परिस्थितियों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त सब्सिडी को डीमंड सेल मानकर करारोपण किया है जो पूर्णतया अनुचित है। उन्होंने कथन किया कि वेट एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे डीमंड सेल की श्रेणी में माना जावे। अधिनियम के तहत विक्रय व विक्रय मूल्य को परिभाषित किया गया है। इसमें विक्रय मूल्य वह है जो कि माल के बदले प्रतिफल के रूप में राशि प्राप्त की जावे। यहां सब्सिडी TSL द्वारा दी गयी है जो कि Sale Consideration नहीं है। व्यवहारी ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया :-




section (2) of section 4 "but shall exclude the sale price or part of sale price, if any, in respect of sales of goods which were purchased in the State by the dealer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods or, where tax on maximum retail price of such goods were paid in the State on an earlier occasion;


उक्त परिभाषा अनुसार कहीं भी सब्सीडी को टर्न ओवर का भाग नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में मैसर्स Indian Potash Limited Vs Asstt. Commissioner and Ohters (2002) 128 STC 446 (Mad.) में Consideration को परिभाषित किया गया है जो कि निम्न प्रकार है :-


"Consideration is even now understood as only the amount paid or payable by the buyer, which would also include the amounts payable by others on behalf of such buyer, but would exclude amounts receivable by the seller from others under a scheme to which the buyer is not a party."

इससे स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा किसी अन्य पार्टी से किसी स्कीम के तहत प्राप्त की गयी राशि Consideration का हिस्सा नहीं हो सकती है। इस प्रकार व्यापारिक छूट को विक्रय मूल्य अथवा सकल पर्ण्यावत की गणना से बाहर रखा जाता है। व्यापार के सामान्य प्रचलित सिद्धान्तों के अनुसार विभिन्न कारणों से थोक विक्रेताओं अथवा विनिर्माताओं द्वारा समय समय पर खुदरा व्यवसायों/वितरकों को उक्त व्यापारिक छूटें प्रदान की जाती है जिसे कि छूट प्राप्त करने वाले व्यवसायों के पर्ण्यावत में जोड़ा नहीं जा सकता। प्रत्यर्थी के प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवसाय द्वारा जो सब्सीडी प्राप्त की गई है वह न तो प्रत्यर्थी के क्रेता व्यवसायी द्वारा दी गई है तथा न ही उसकी वसूली प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा ग्राहकों से की गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कर उसी राशि पर आरोपित किया जा सकता है जो कि ग्राहक से वसूल की गई हो। इस संबंध में पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि वास्तविक क्रेता से प्रत्यर्थी द्वारा विक्रय बिलों में घोषित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल किया गया है। चूंकि छूट की राशि ग्राहकों से प्राप्त मूल्य में जोड़कर वसूल नहीं की गई है अथवा यह कहा जाए कि ग्राहकों को माल कम दर पर ही बेचा गया है, कर भी उसी दर पर वसूला गया है तथा उसी दर पर आरोपणीय भी है। प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा जिस मूल्य पर माल क्रय किया गया है, उस पर पूर्व में ही कर अदा कर दिया गया है तथा जिस मूल्य पर विक्रय किया गया है उस पर नियमानुसार कर वसूला जाकर बाद समायोजन ही विवरणियां प्रस्तुत की गई है। अतः सब्सीडी राशि को विक्रय मूल्य में जोड़ते हुए जो कर आरोपित किया गया है उसे अविधिक होने के कारण अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप विभाग की अपीलें अस्वीकार की जाती है।

7. फलतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(अमर सिंह)
सदस्य


(मदन लाल)
सदस्य